प्रकरण संख्या 8/2019 कमलादेवी व अन्य बनाम विनोद कुमार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। दौराने वाद कार्यवाही विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.02.2021 को अग्रिम कार्यवाही तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया। यथास्थिति के उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु वादी के अधिवक्ता द्वारा धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2019 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर दिनांक 18.02.2021 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को हटाये जाने का आदेश किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश व्यास उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 मृतक बंशीलाल के वारिसान संजय, श्रीमती सविता, नीरज, राजेश एवं विकास की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल सुथार उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हर्षद जोशी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि के हस्तान्तरण पर रोक लगाने हेतु दोनों पक्षों की सहमति से यथास्थिति के आदेश दिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के बाद प्रत्यर्थी संख्या 13 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का दिनांक 05.09.2018 को प्रस्तुत किया गया, जिसका विस्तृत जवाब अपीलान्टगण द्वारा दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि सन् 2011 से 2019 के मध्य मौके व रेकार्ड संबंधी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:20 IST
Reason: SelfAttested

कोई तात्विक परिवर्तन हुआ हो अन्यथा अब ऐसी क्या परिस्थिति में परिवर्तन आया जिस कारण उक्त आदेश दिनांक 18.02.2011 को निरस्त करना आवश्यक हो गया हो। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.01.2019 अपास्त किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 18.02.2011 को पूर्ववत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण द्वारा धारा 151 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है, जिसका श्रवणाधिकार अपील न्यायालय को नहीं है, अपील न्यायालय में सिर्फ डिक्री की अपील ही लाई है। उक्त आदेश की राजस्व मण्डल अजमेर में रिवीजन ही हो सकती है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1991 पेज 422 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा अपील धारा 151 जा.दी. में हुए निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा में धारा 225 में प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील न्यायालय में धारा 225 के तहत धारा 151 जा.दी. में हुए निर्णय के विरूद्ध अपील विचारण योग्य नहीं होती है। तद्नुसार अपील न्यायालय हाजा में विचारणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:20 IST
Reason: SelfAttested